राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 23/2025 दायर दिनांकः–30/07/25

जीसीएमएस नं. 2025/147 निर्णय दिनांकः–30/07/25

कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस नम्बर 27 बीकेसी, सी–27 जी ब्लॉक ब्रांदा कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा ई मुम्बई व शाखा कार्यालय पहली मंजिल डी–232/233 एसडीसी टावर नियर आम्रपाली सर्किल हनुमान नगर वैशाली नगर, जयपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री गोवरधन लाल खटीक, पता–धताना इन्दौरा, डूंगरपुर
2. श्री गंगा देवी पत्नी रमेश कुमार, पता–धताना इन्दौरा, डूंगरपुर
3. मैसर्स वेलकम रेडीमेड जरिये प्रोपराईटर रमेश कुमार समस्त निवासीगण–खसरा नं. 4665/4272, स्थित धताना (खटीक बस्ती), तहसील–आसपुर जिला–डूंगरपुर

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: आदेश ::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बजाज फाईनेंस लिमिटेड, द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 26.09.2019 को रू. 4,42,099/–अक्षरे चार लाख बयालिस हजार निन्याणवे रूपये ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी थी। बजाज फाईनेंस लिमिटेड, द्वारा एनपीए करने उपरान्त ऋणी अनुबंध पत्र की शर्तो के अनुसार जरिये असाईनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30 मार्च 2022 के अन्तर्गत प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, के हक में ऋण खाता से संबंधित अधिकार कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को प्राप्त है। अप्रार्थीगण को 4,42,099/– अक्षरे चार लाख बयालिस हजार निन्याणवे रूपये ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी गई राशि जिसके पुर्नभुगतान हेतु अप्रार्थीगण की बजाज फाईनेंस के पास रहन रखी सम्पति जिसका विवरण निम्नानुसार हैः– **खसरा नं0. 4665/4272, स्थित धताना (खटीक बस्ती) तहसील–आसपुर जिला डूंगरपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 780 वर्गफीट है।** अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाते को बजाज फाईनेंस लिमिटेड, ने **दिनांक 31.08.2021 को डिफाल्टर (एन.पी.ए)** घोषित किया गया। अप्रार्थीगण की बकाया ऋण राशि– 5,43,788/–दिनांक 04.04.2025 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त शामिल करते हुए वकाया निकलते है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता **दिनांक 31.08.2021** को डिफाल्टर घोषित होने से ऋणी को **दिनांक 26.08.2022** को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नही हो जाता तब तक बकाया राशि मय व्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी अधिकृत कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, को सभंलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी को जमा नही कराया है। उक्त अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा अधिकृत प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, को दिलवाने का आदेश जारी करनें की मांग की है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योंकी यहा से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना हैं।

हमने वकील प्रार्थी के बहस पर गनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की सम्पति को बजाज फाईनेंस लिमेटेड पास रहन रखकर दिनांक 26.09.2019 को रूपया 4,42,099/–अक्षरे चार लाख बयालिस हजार निन्याणवे रूपये ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से दिनांक 31.08.2021 को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थीगण के ऋण खाते में रूपया 5,43,788/–रूपये दिनांक 04.04.2025 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त शामिल करते हुए बकाया निकलते है। सरफेसी एक्ट 20002 की धारा 13(2) कें अन्तर्गत कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, ने ऋणी (अंप्रार्थीगण) को दिनांक 26.08.2022 को नोटिस जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, को दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बधंक के रूप में रखी गई सम्पति का कब्जा असाईमेंट एग्रीमेंट निष्पादन होने से श्री रविन्द्र गोदारा, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, को दिलवाया जाना आवश्यक हैं। अतः अप्रार्थीगण ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नही कराई गई। दी सिक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी की बन्धक रखी संपति :–खसरा नं0. 4665/4272, स्थित धताना (खटीक बस्ती) तहसील–आसपुर जिला डूंगरपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 780 वर्गफीट जिसके पूर्व में गोतमलाल खटीक का प्लॉट, पश्चिम में कन्हैयालाल का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में स्वयं की भूमि का भौतिक कब्जा है। उक्त सम्पति को अप्रार्थीगण सें प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर श्री रविन्द्र गोदारा, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस नम्बर 27 बीकेसी, सी–27 जी ब्लॉक ब्रांदा कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा ई मुम्बई व शाखा कार्यालय पहली मंजिल डी–232/233 एसडीसी टावर नियर आम्रपाली सर्किल हनुमान नगर वैशाली नगर, जयपुर को सभ्भलायें जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की कियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 30/7/25 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर